59

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक :343 -तीन/2010 - विरूद्ध आदेश दिनांक 14-12-2009- पारित द्वारा - आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 88/1993-94 निगरानी

1- भैयालाल 2- मोतीलाल 3- दयालाल
पुत्रगण त्रिवेणीप्रसाद
4- मानवती पत्नि रामचन्द्र तिवारी पुत्री त्रिवेणीप्रसाद
5- गुलाबकली पत्नि बैजनाथ पाण्डेय पुत्री त्रिवेणीप्रसाद
सभी निवासी ग्राम बुढ़वा तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्रीमती फूलमती (फोत) पत्नि स्व. कुजविहार
वारिस
1- शेषनारायण 2- कमलाप्रसाद
4- कृष्णकुमार पुत्रगण कुंजविहारी
5- ईश्वरीदेवी पुत्री कुंजविहारी
6- श्रीमती जागेश्वरी पुत्री कुंजविहारी
2- देवेन्द्र प्रसाद पुत्र भैयालाल मिश्रा
3- राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भैयालाल
4- विवेकनारायण पुत्र विष्णुप्रसाद मिश्रा
सभी ग्राम बुढवा तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 26-12-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 88/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-12-2009 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बुड़वा जनरल नंबर 442 के खसरा नंबर 507, 508 एंव 518 अधिकार अभिलेख तैयार करने के पूर्व शासकीय अभिलेख में कुंज विहारी उर्फ कुंजलराम एंव श्रीमती स्वरूपिया के नाम दर्ज थी, इन भूमियों को अधिकार अभिलेख अधिकारी ने अधिकार अभिलेख तैयार करते समय आदेश दिनांक 29-3-1973 से श्रीमती फूलमती , शेषनॉरायण, कृष्णकुमार, कमलप्रसाद, श्रीमती ईश्वरीदेवी, जागेश्वरी देवी, चन्द्रशेखर के पिता कुंजविहारी के हक में नामान्तरण प्रमाणित किया। त्रिवेणीप्रसाद ने अधिकारी अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 355 अ-6/73-74 में पारित आदेश दिनांक 30-11-1974 से अपील अस्वीकार की एंव अधिकार अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनांक 29-3-1973 को यथावत् रखा।

त्रिवेणीप्रसाद ने कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 30-11-1974 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 394 अ-6/1974-75 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-2-78 से अधिकार अभिलेख अधिकारी का आदेश दिनांक 29-3-74 एंव कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 30-11-74 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण श्रीमती स्वरूपिया के वारिसान की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया।

तहसील न्यायालय में प्रकरण प्राप्त होने पर कमांक 25 बी-121/77-78 पर पॅजीबद्व किया गया तथा नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर ने हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनॉक 29-4-1987 पारित किया एंव ग्राम बुड़वा की भूमि सर्वे कमांक 507, 508 एंव 518 बंदोवस्त के वाद नये नंबर 634, 635 एंव 645 (आगे जिन्हें वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर त्रिवेणीप्रसाद को भूमिस्वामी घोषित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रायपुर एंव गुढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर एंव गुढ़ ने प्रकरण कमांक 78 बी 121/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-7-88 से श्रीमती स्वरूपिया अथवा उसके वारिसान की सुनवाई न हेतु एंव वाद विचारित भूमि में उनकी हितबद्वता का अवधारण न करने के कारण नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर का आदेश दिनॉक 29-4-1987 निरस्त कर दिया तथा पुनः जॉच एंव सुनवाई हेतु वापिस किया। अनुविभागीय

अधिकारी के उक्तादेश के विरूद्ध कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 50 अ-6/ 87-88 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 23-1-90 से निगरानी निरस्त कर दी। कलेक्टर रीवा के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 88/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-12-2009 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का भी अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि निगरानी मेमो के उन्मान में अंकित पक्षकारों के बीच वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनांक 29-3-1973 पर से मूल विवाद प्रारंभ हुआ है जिसे विभिन्न अपील / निगरानी न्यायालय में चलते हुये आज की स्थिति में 44 वर्ष हो चुके हैं। राजस्व अमले के समक्ष विचार का विषय है कि पक्षकारों को 44 वर्ष के लम्बे अंतराल तक न्याय की प्रत्याशा में प्रत्यावर्तन-दर-प्रत्यावर्तन के फेर में अटकाये रखना उचित है जबकि अधिकार अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किये गये अधिकार अभिलेख पर पारित आदेश दिनांक 29-3-1973 के विरूद्ध अपील होने एंव कलेक्टर जिला रीवा द्वारा आदेश दिनांक 30-11-1974 से अपील निरस्त करने के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने निगरानी प्रकरण कमांक 394 अ-6/1974-75 में पारित आदेश दिनांक 13-2-78 से अधिकार अभिलेख अधिकारी का आदेश दिनांक 29-3-74 एंव कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 30-11-74 निरस्त कर प्रकरण श्रीमती स्वरूपिया के वारिसान की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है और प्रत्यावर्तन के पालन में नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनॉक 29-4-1987 पारित किया है एंव वादग्रस्त भूमि पर त्रिवेणीप्रसाद का हक पाने से भूमिस्वामी घोषित किया है। नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर के आदेश दिनॉक 29-4-1987 अंतिम पद इस प्रकार है :-

" आवे. (अर्थात त्रिवेणीप्रसाद) को ईश्वरी जो सरूपिया के पति है का वारिस होना अविवादित है। अतएव सरूपिया के वारिस हुये यह भी अविवादत ही है क्योंकि सरूपिया ईश्वरी की वेवा है यह

अना. स्वीकारता है। आवेदक वर्ष 1947 से जरिये बसीयत काविज दखली है। मु. सरूपिया की मृत्यु जो सन 1956 में हुई है के पश्चात् अना. ने न तो मु. सरूपिया के नाम रिकार्ड से कटवाने की कोई कार्यवाही की नहीं अपने मुख्ताक रसीद के आधार पर अपने नाम नामा. कराने की कार्यवाही । आवे. सन 1947 से अपना कब्जा होना बसीयत अनुसार कहा । बसीयत होना साक्षों से प्रमाणित है। वैसे भी आवे. बतौर वारिस भी मुस. सरूपिया के उत्तराधिकारी होते हैं एंव उन्हें उसकी संपत्ति में हक पहुंचता है । चूँकि विवादित भूमियॉ लम्बे अर्से से निश्चित ही 45 वर्ष है से आवे. के कब्जे में है वह उनका भूमिस्वामी हो जाता है। अतएव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम बुड़वा की भूमि सर्वे कमांक 507, 508 एंव 518 बंदोवस्त के वाद नये नंबर 634, 635 एंव 645 एंव 1.66 का नामा. आवेदक त्रिवेणी तनय ठाकुरराम के हक में नामान्तरण प्रमाणित किया जाता है। ''

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के निगरानी प्रकरण कमांक 394 अ-6/1974-75 में पारित प्रत्यवर्तन आदेश दिनांक 13-2-78 में दिये गये दिशा निर्देशों के प्रकाश में एंव महिला सरूपिया अथवा उसके वारिसानों की सुनवाई के दिशा निर्देशों के प्रकाश में नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर का यह आदेश है। इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी रायपुर एंव गुढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 78 बी 121/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-7-88 से श्रीमती स्वरूपिया अथवा उसके वारिसान की सुनवाई के लिये पुनः प्रकरण प्रत्यावर्तित करना न्याय की श्रेणी में नहीं है ।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 44 सहपठित 48 – एक वार अपील न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेश की सभी अपेक्षाओं का विचारण न्यायालय व्दारा पालन कर दिया गया हो, तब उन्हीं अपेक्षाओं के लिये द्वित्तीय अपील में मामला पुनः प्रतिप्रेषत नहीं किया जा सकता। (रामजियावन विरूद्व तेजाप्रसाद 1987 रा.नि. 177 से अनुसरित)
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 44 सहपठित 48 – विचारण न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का विवेचन समुचित नहीं किया, तब अपीलीय न्यायालय को स्वयं विवेचना कर निर्णय लेना चाहिये। एक वार अपील न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेश की सभी अपेक्षाओं का विचारण न्यायालय व्दारा पालन कर देने पर मामला विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, ऐसी प्रार्थना के सम्बन्ध में जांच के लिये प्रेतिप्रेषण का आदेश अनुचित है प्रार्थना नामन्जूर की जाना चाहिए। (एम.एस.मेमोरियल एजूकेशन सोसा. विरूद्व म0प्र0राज्य 2005 रा.नि. 126 एंव बल्देव विरूद्व बुदउआ 1986 रा.नि. 240 से अनुसरित)

6/ प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 13-2-78 (महिला सरूपिया अथवा उसके वारिसानों की सुनवाई हेतु निर्देशों के प्रकाश में) नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर ने पूर्ण जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनॉक 29-4-1987 पारित किया है, इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी रायपुर एंव गुढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 78 बी 121/1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-7-88 से श्रीमती स्वरूपिया अथवा उसके वारिसान की सुनवाई के लिये

पुनः प्रकरण प्रत्यावर्तित करना नियमानुकूल नहीं माना जा सकता। पीड़ित पक्षकार 44 वर्ष से न्याय की प्रत्याशा में है परन्तु इन तथ्यों पर कलेक्टर जिला रीवा ने आदेश दिनॉक 23-1-90 पारित करते समय तथा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 14-12-2009 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी रायपुर एंव गुढ़ का आदेश दिनांक 19-7-88, कलेक्टर जिला रीवा का आदेश दिनॉक 23-1-90 तथा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 14-12-2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यदि अनावेदकगण वादग्रस्त भूमि में स्वयं् का स्वत्व होना मानते हैं, स्वत्व के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है जिसके कारण अनावेदकगण स्वत्व का निराकरण सक्षम न्यायालय से कराने हेतु स्वतंत्र है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 88/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-12-2009, कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 50 अ-6/ 87-88 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 23-1-90 एंव अनुविभागीय अधिकारी रायपुर एंव गुढ़ व्दारा प्र0क0 78 बी 121/ 1986-87 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-7-88 त्रृटिपूर्ण होंने से निरस्त किये जाते हैं एंव नायव तहसीलदार वृत्त रायपुर व्दारा प्रकरण कमांक 25 बी-121/ 77-78 में पारित आदेश दिनॉक 29-4-1987 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर